न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 83/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2011/00163

उनवान

1. चन्दन सिंह(फौत)
   1/1. रामबेटी वेवा चन्दन सिंह
   1/2. शिमला } पुत्री स्व0 चन्दन सिंह
   1/3. रेखा
   1/4. गिरजेश } पुत्र स्व0 चन्दन सिंह
   1/5. हाकिम सिंह
   1/6. ब्रजमोहन
   1/7. धर्मेन्द्र सिंह
   1/8. हरिओम
2. रामगोपाल } पुत्र स्व0 काशीराम
3. रामबाबू
4. बतसिया } पुत्रीयान स्व0 काशीराम
5. पूरन देवी
6. कुन्ती देवी

} समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. रामजीलाल } पुत्र बीधाराम
2. रामखिलाडी
3. रूप सिंह पुत्र मिहीलाल
4. ग्यासी(फौत)

} समस्त जातिगण कुशवाह नि0 नरपुरा, त0 व जिला धौलपुर।

   4/1. गुड्डी वेवा ग्यासी जाति कुशवाह निवासी ग्राम बरपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
   4/2. विमलेश } पुत्री स्व0 ग्यासी
   4/3. यशोदा
   4/4. गिरिजा } नाबालिग सरपरस्ती मॉ गुड्डी वेवा ग्यासी
   4/5. जमुनी
   4/6. चन्द्रवीर

   } समस्त जातिगण कुशवाह नि0 नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर

   4/7. राजू पुत्र श्री ग्यासी जाति कुशवाह नि0 ग्राम नरपुरा तह0 व जिला धौलपुर।
5. हरविलास पुत्र मिहीलाल
6. मु0 किन्नोली उर्फ किन्नो पत्नी मिहीलाल
7. मु0 सन्तो देवी } पुत्री मिहीलाल
8. मु0 मुन्नी देवी
9. मु0 रामवेटी वेवा लाखन सिंह
10. प्रीती } पिसरान लाखन सिंह नाबालिगान सरपरस्ती माता रामवेटी वेवा लाखन सिंह
11. वीरेन्द्र
12. अजय

} समस्त जाति कुशवाह नि0 नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.2011 प्रकरण संख्या 131/10 उनवान मु0 दलो बनाम रामजीलाल न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री चन्द्रसैन एवं दीनदयाल शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

दिनांक :–08.11.2021

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम नरपुरा तहसील धौलपुर के पूर्व में वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बीधाराम व काशीराम पुत्रगण स्व0 हतुआ थे। बीधाराम तथा काशीराम का निधन हो चुका है बीधारामा के वारिस एवं कायम मुकाम प्रतिवादी/रैस्पो0 हैं जिन पर बीधाराम का सम्पूर्ण भाग उत्तराधिकार में प्रकान्त हुआ। काशीराम के वारिस व कायम मुकाम वादीगण/अपीलाण्ट हैं जिन पर काशीराम का सम्पूर्ण भाग प्रकान्त हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सामूहिक रूप से 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हुये एवं संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहें हैं। विवादित आराजी का अभी पक्षकारान के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु अब शामलात काश्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं एवं आये दिन झगडा होता रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दिनांक 16.01.2019 को उभयपक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष राजीनामा पर सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने राजीनामा के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का दावा अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया था, जो मुताबिक रिकार्ड गलत था। क्योंकि विवादित आराजी पर पूर्व में काशीराम व बीधाराम वहिस्सा बराबर 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। परन्तु बाद में 15.04.1975 से इन्द्राजात गलत हो गये। परन्तु वर्तमान में हम पक्षकारान के मध्य चन्द भले लोगो ने राजीनामा करा दिया है अतः अब फरीकेन अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण कराना चाहते हैं। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर संभाग भरतपुर

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी अपील का निस्तारण मुताबिक राजीनामा करने में सहमति जताई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि खसरा नम्बर 187 व 189 के बाबत् वादीगण ने ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उक्त खसरा नम्बर बीधाराम व काशीराम की खातेदारी में होना प्रतीत होता हो। वर्तमान में खसरा नम्बर 187 व 189 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं ये इन्द्राज किस प्रकार गलत है यह वादी सिद्ध नहीं कर पाया है। इस विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्रत्यक्षतः तर्क संगत मालूम होता है। परन्तु दिनांक 16.01.2019 को पक्षकारान ने आपस में राजीनामा होना एवं मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 187 व 189 वाके ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर के बाबत् अपील खारिज करने तथा शेष विवादित आराजीयात बाबत् अपील स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। रैस्पो0 अधिवक्ता द्वारा भी इसे राजीनामा मानते हुए, उक्तानुसार अपील के निस्तारण में सहमति जताई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद स्वत्व घोषणा, दुरुस्ती इंद्राज एवं बॅटवारा काश्त का था। अतः हमारा मत है कि पक्षकार अपील में किये जा रहे कथित राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को राजीनामा पर सुनकर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क को ध्यान में रखते हुये, राजीनामा का मूल्यांकन कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2011 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त विवेचन अनुसार पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2021 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय एवं राजीनामा की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी पदेन राजस्व ... कैम्प-धौलपुर ... भरतपुर

08.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर